शोध मंथन Vol. XVI No.2 Apr.- June. 2025 ISSN: (P) 0976-5255 (e) 2454-339X, Impact Factor 8.877 (SJIF)
https://doi.org/10.31995/shodhmanthan.2025.v16i02.48

स्थानीय स्वशासन में बैगा जनजाति की राजनीतिक सहभागिता का विश्लेषणात्मक अध्ययन

प्राप्तिः 15.04.2025
स्वीकृतः 22.05.2025

48

बृजभूषण वर्मा
शोधार्थी (राजनीति विज्ञान)
सेठ रतनचंद सुराना कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, दुर्ग, जिला–दुर्ग (छ.ग.)
ईमेलः vermabrij22@gmail.com

डॉ. रीना मजूमदार
शोध निर्देशक
असिस्टेंट प्राध्यापक(राजनीति विज्ञान)
डॉ. खूबचंद बघेल शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भिलाई–3, दुर्ग (छ.ग.)

डॉ. प्रमोद यादव
सह–शोध निर्देशक
असिस्टेंट प्राध्यापक(राजनीति विज्ञान)
सेठ रतनचंद सुराना कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, दुर्ग, जिला–दुर्ग (छ.ग.)

सारांश

प्रस्तुत शोध पत्र छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा'' के स्थानीय निकायों में राजनीतिक सहभागिता को ज्ञात किया गया है। समस्त जनजातीय क्षेत्रों में पेसा एक्ट–1996 लागू है जिसके कारण जनजातियों में स्थानीय निकाय पंचायतीराज संस्थाओं का प्रत्यक्ष प्रभाव ड़ा रहा है,परिणामस्वरूप अब जनजाति समुदाय भी राजनीति में प्रत्यक्ष एवं प्रभावशाली भूमिका निभा रही है। प्रस्तुत शोध में अध्ययन क्षेत्र के रूप में वणर्नात्मक शोध प्ररचना के अंतर्गत शोध कार्य किया गया है। प्राथमिक समंकों को एकत्र करने के लिए साक्षात्कार अनुसूची व अवलोकन प्रविधि का प्रयोग करते हुए तथ्यों का संकलन किया गया है, जबकि द्वितीयक समंकों के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय, कबीरधाम व इंटरनेट की सहायता से राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा प्रकाशित प्रतिवेदन, मासिक एवं दैनिक पत्रिकाओं में प्रकाशित तथ्यों को भी सम्मिलित किया गया है। निदर्शन के अंतर्गत 300 बैगा उत्तरदाताओं एवं संबंधित जनप्रतिनिधियों (जिला व जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच व वार्ड पंच) का चयन लॉटरी पद्धति से किया गया है। बैगा समुदाय के आय के प्रमुख स्रोत पारम्परिक कृषि, वनोपज व पशुपालन है। सामाजिक–राजनीतिक स्तर पर संचार साधनों की मुख्य भूमिका है। परिणामस्वरूप पंचायती राज संस्थाओं एवं राजनीतिक दल में शामिल होकर कार्यकर्ता के रूप में शामिल हो रहे हैं तथा राजनीतिक महत्व एवं लाभ को समझते हुए राजनीतिक सहभागिता व नेतृत्व क्षमता का विकास हो रहा है।

मुख्य बिंदु

स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज, बैगा जनजाति, राजनीतिक सहभागिता, जनजाति नेतृत्व।

प्रस्तावना विश्व के सभी समाजों में समाज को व्यवस्थित व नियंत्रित करने के लिए जनतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित किया गया है, जिसमें राजनीतिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक प्रणाली के माध्यम से बेहतर कार्य कर सकते हैं। वर्तमान समय में अधिकांश सभी देशों ने लोकतांत्रित व्यवस्था को अपनाया

हुआ है या अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। किसी भी लोकतांत्रिक समाज अथवा देश में अपने शासन के चुनाव करने हेतु निर्वाचन प्रणाली अपनाये जाते हैं। इसीलिए समय के अनुसार राजनीतिक सहभागिता का सुदृढ़ होना आवश्यक है, जिसमें विभिन्न संचार माध्यम, मेल–मिलाप, सम्मेलन, इत्यादि अन्य माध्यम से व्यक्ति राजनीतिक सहभागिता में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे व्यक्ति जनता या अपने लोगों के विचार व मनोदशा को ज्ञात करता है तथा अपने इच्छानुरूप राजनीतिक दल के लिए कार्य करता है। ''आधुनिक समय की राजनीतिक व्यवस्थाओं पर दृष्टिपात करें तो उनके दो प्रतिमान स्पष्ट होते हैं– प्रथम वर्ग में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएँ व दूसरे वर्ग में निरंकुश या स्वेच्छाधारी शासन व्यवस्थाओं को रखा जाता है। शासन व्यवस्थाओं का यह वर्गीकरण राजनीतिक सहभागिता के आधार पर ही किये गये हैं। लोकतंत्र में राजनीतिक दृष्टि से जन सहभागिता होती है,जबकि निरंकुश तंत्रों में इसका अभाव रहता है।''[1]

''राजनीतिक सहभागिता आंशिक रूप में सहमति, उत्तरदायित्व और राजनीतिक विरोध के सिद्धांत की सार्थकता तथा बल प्रदान करने की इच्छा से उत्प्रेरित किये गये हैं, राजनीतिक सहभागिता वह प्रमुख माध्यम है जिसके द्वारा प्रजातंत्र में सहमति को मान्य या अमान्य किये जाते हैं तथा शासकों को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाया जा सकता है।''[2] उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत शोध में अध्ययन क्षेत्र के बैगा जनजातियों में स्थानीय निकायों व स्थानीय स्तर पर राजनीतिक सहभागिता को ज्ञात किया गया है

शोध साहित्य का पुनरावलोकन

यादव, अंजली (2021)[3] ''विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों में शासन द्वारा संचालित विकास के कार्यक्रमों के प्रति जागरूकता'' का अध्ययन छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के बोड़ला विकास खण्ड के 7 बैगा बहुल ग्रामों का अध्ययन किया और पाया कि आदिम जनजाति बैगा शासन द्वारा संचालित जनसंख्या गिरावट को रोकने हेतु किये गये सरकारी व गैर सरकारी प्रयासों की प्रति जागरूकता के प्रति चेतना को जानने का प्रयास किया गया। शासन ने बैगाओं के जीवन स्तर को सुधारने हेतु अनेक योजनाओं को संचालित किया है, जिसके फलस्वरूप भी वर्तमान समय में भी सरकार द्वारा अनेक रोजगार संबंधी स्वास्थ्य संबंधी, शिक्षा संबंधी, योजनाओं से अनभिज्ञ पाये गये है।

राजपूत, उदय सिंह (2020)[4] ने ''बैगा जनजाति की परम्परागत राजनीतिक व्यवस्था एवं पेसा अधिनियम : पूर्वी मध्यप्रदेश से कुछ अनुभवजन्य साक्ष्य''अपने शोध पत्र में मध्यप्रदेश के बैगा जनजाति के सन्दर्भ में परम्परागत राजनीतिक व्यवस्था और पेसा अधिनियम का अध्ययन किया। बैगा बहुल क्षेत्रों में ही सरपंच बैगा समुदाय से न होकर गोण्ड या अन्य जनजाति से है। कुछ जगह पर यह देखने में आया कि गाँवों में सम्पन्न राठौर या यादव जो गैर जनजाति वर्ग से है, उप–सरपंच के पद पर चयनित हुये है और सरपंचों के सारे अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं। यह दोनों ही स्थितियाँ बैगा में राजनीतिक जागरूकता के कम होने, क्षमता का अभाव तथा राजनीतिक गतिविधियों में भागीदारी के प्रति अनिच्छा को प्रदर्शित करती है।

तिग्गा, आनंद प्रकाश (2016)[5] ने ''छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में बैगा जनजाति के विकास में पंचायती राज व्यवस्था की भूमिका : एक राजनैतिक विश्लेषण'' में इन्होंने बैगा जनजाति के राजनैतिक जागरूकता व उत्थान के प्रयासों का उल्लेख किया है। पंचायती राज द्वारा बैगा जनजातियों को उसी प्रकार की सुविधाएँ प्रदान की जाती है, जैसे कि मैदानी क्षेत्रों में अन्य समुदाय अथवा ग्राम पंचायतों को दिया

https://doi.org/10.31995/shodhmanthan.2025.v16i02.48

जाता है तथा विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम भी केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा शिविर आयोजन के माध्यम से दिया जाता है, ताकि बैगा जनजाति भी विकास की राह में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ सके।

अध्ययन के उद्देश्य

1.बैगा जनजातियों की सामाजिक व आर्थिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करना।

2.बैगा जनजातियों में राजनीतिक सहभागिता के अंतर्गत राजनीतिक नेतृत्व निर्माण प्रक्रिया को ज्ञात करना।

3. बैगा जनजातियों की राजनीतिक नेतृत्व (स्थानीय निकायों में) के रूप में भूमिका का अध्ययन करना।

प्राथमिक एवं द्वितीयक समंक

प्रस्तुत शोध कार्य में प्राथमिक समंकों के संकलन के लिए साक्षात्कार अनुसूची व अवलोकन विधि का प्रयोग किया गया है तथा द्वितीयक समंक के रूप में जिला निर्वाचन कार्यालय, कबीरधाम सहित अन्य विभिन्न शासकीय प्रतिवेदनों एवं दस्तावेजों, समचार पत्र–पत्रिकाओं का प्रयोग किया गया है।

निदर्शन

प्रस्तुत शोध में अध्ययन क्षेत्र के बैगा जनजाति की राजनीतिक सहभागिता अध्ययन करने के लिए गैर–आनुपातिक आधार पर लॉटरी पद्धति का प्रयोग करते हुए 300 (महिला–पुरूष) व्यक्तियों का चयन कर अध्ययन किया गया है, जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है।

सारणी–01 : अध्ययन क्षेत्र के उत्तरदाताओं का चयन

क्र.	विकासखण्ड			
	बोड़ला		पण्डरिया	
	चयनित ग्राम	उत्तरदाताओं की संख्या	चयनित ग्राम	उत्तरदाताओं की संख्या
1.	सिवनीकला	07	दमगढ़	09
2.	कुकरापानी	12	देवानपटपर	10
3.	जामपानी	13	गुढ़ा	06
4.	पीपरखुटा	09	पोलमी	12
5.	कटगो	07	सारपानी	10
6.	सरोधादादर	18	आगरपानी	11
7.	लावा	08	अमनिया	10
8.	बेंदा	11	बकेला	09
9.	कोमो	10	कुशियारी	06
10.	गर्रा	07	नागाडबरा	10
11.	शीतलपानी	09	पोलमी–2	13
12.	सिलयारी	15	ऊपरपारा	12
13.	भूरमीपकरी	24	कुकदूर	10
14.	सोनतरा	12	चतरी	12
15.	चिल्फी	14	नेउर	10
योग		**150**		**150**
महायोग – 150 + 150 = 300				

शोध सीमाएँ

शोध सीमा के अंतर्गत शोध कार्य के दौरान होने वाली कठिनाईयाँ व शोध की कमी है, जिसके कारण शोध निष्कर्ष को प्रभावित करती है, प्रस्तुत शोध कार्य की प्रमुख सीमाएँ निम्न है–

1. बैगा जनजाति में राजनीतिक नेतृत्व के मूल्यांकन क्षेत्रीय सीमा का निर्धारण करता है तथा प्राप्त तथ्यों व आंकड़ों के आधार पर जानकारी को उत्तरदाताओं के विचारों और सुझावों को समग्र के प्रतिस्थिति के रूप में स्वीकार किया गया है।
2. चूंकि बैगा जनजातियों की जनसंख्या कम होने, अशिक्षित व अल्पशिक्षित होने के कारण उनसे सहज होना चुनौतिपूर्ण रहा।
3. अध्ययन क्षेत्र के विस्तृत होने एवं सुदूर व सघन जंगलों के भीतर निवास क्षेत्र होने के कारण न्यादर्श उत्तरदाताओं से सम्पर्क कर साक्षात्कार व आंकड़ों का संग्रहण करना चुनौतिपूर्ण कार्य रहा।
4. उत्तरदाताओं में शिक्षा के निम्न स्तर होने से शोध कार्य के उद्देश्यों को स्पष्ट करना कठिन कार्य रहा।

अध्ययन क्षेत्र का सामान्य परिचय

अध्ययन क्षेत्र छत्तीसगढ़ राज्य के प्रमुख जिलों में से एक है जो 1998 में राजनांदगाँव व बिलासपुर जिले के कुछ भाग को मिलकर अस्तित्व में आया। यह जिला मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा (मैकल पवर्त श्रेणी) का निर्धारण करता है। बैगा आदिवासी इसी मैकल पर्वत श्रेणी में निवास करती है। जिला सांख्यिकी रिपोर्ट 2023–24 के अनुसार जिले में 08 तहसील तथा 996 ग्राम है जिसमें आबाद ग्रामों की संख्या 950 एवं 465 ग्राम पंचायते हैं। जिले में 04 जनपद पंचायत, 02 नगर पालिका परिषद व 05 नगर पंचायत है।

सारणी–02 : जिला कबीरधाम का तहसीलवार भौगोलिक एवं प्रशासनिक संरचना

क्र.	तहसील का नाम	भौगोलिक क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी. में)	कुल ग्राम (संख्या)	आबाद ग्राम (संख्या)	ग्राम पंचायत
1.	कवर्धा	244.08	83	83	50
2.	बोड़ला	1324.66	244	223	95
3.	सहसपुर लोहारा	975.20	197	187	96
4.	पण्डरिया	280.94	98	94	52
5.	कुंडा	240.35	88	86	54
6.	पिपरिया	287.35	98	97	54
7.	रेंगाखारकला	397.98	97	91	28
8.	कुकदूर	696.49	91	89	36
जिला–कबीरधाम		**4447.05**	**996**	**950**	**465**

https://doi.org/10.31995/shodhmanthan.2025.v16i02.48

प्रस्तुत शोध में अध्ययन क्षेत्र में बैगा जनजातियों में राजनीतिक सहभागिता को ज्ञात किया गया है, जो अग्रतालिकाओं की सहायता से विश्लेषित किया गया है–

सारणी–03 : उत्तरदाताओं की शैक्षणिक योग्यता

क्र.	शैक्षणिक स्तर	संख्या	प्रतिशत
1.	साक्षर	19	6.33
2.	प्राथमिक	66	22.0
3.	माध्यमिक	98	32.66
4.	उच्च माध्यमिक (10वीं / 12वीं)	55	18.33
5.	स्नातक	35	11.66
6.	स्नातकोत्तर	27	9.0
योग		**300**	**100**

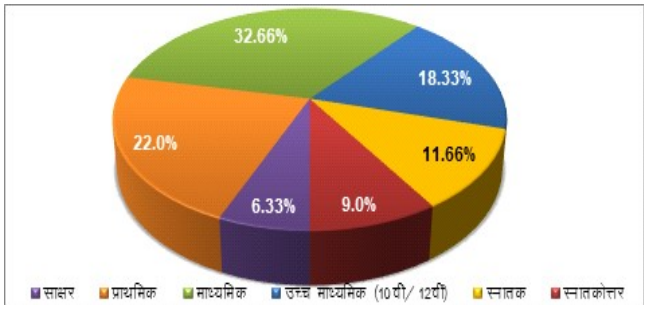

उक्त सारणी व आरेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अध्ययन क्षेत्र के बैगा जनजाति के चयनित उत्तरदाताओं में से सर्वाधिक 32.66 प्रतिशत उत्तरदाता माध्यमिक स्तर, 22.0 प्रतिशत उत्तरदाता प्राथमिक स्तर, 18.33 प्रतिशत उत्तरदाता उच्च माध्यमिक स्तर तक शिक्षित हैं। केवल 20. 66 प्रतिशत उत्तरदाता ही उच्च शिक्षा तक पढ़ाई करने की जानकारी दिए हैं, जिसमें 11.66 प्रतिशत उत्तरदाता स्नातक व 9.0 प्रतिशत उत्तरदाता स्नातकोत्तर की शिक्षा की जानकारी दिए हैं। अध्ययन क्षेत्र में केवल साक्षर उत्तरदाताओं की संख्या 6.33 प्रतिशत है।

सारणी–04 : उत्तरदाताओं में राजनीतिक समाचार प्राप्ति हेतु संचार माध्यम

क्र.	माध्यम	अभिमत			योग
		हाँ	नहीं	कभी–कभी	
1.	इलेक्ट्रॉनिक मीडिया	03 (1.0)	9 (3.0)	12 (4.0)	24 (8.0)
2.	प्रिंट मीडिया	05 (1.66)	7 (2.33)	17 (5.66)	29 (9.66)
3.	परिवार / पड़ोसी / मित्रगण	173 (57.66)	9 (2.66)	65 (21.66)	247 (82.33)
योग		**181 (60.33)**	**25 (8.33)**	**94 (31.33)**	**300 (100)**

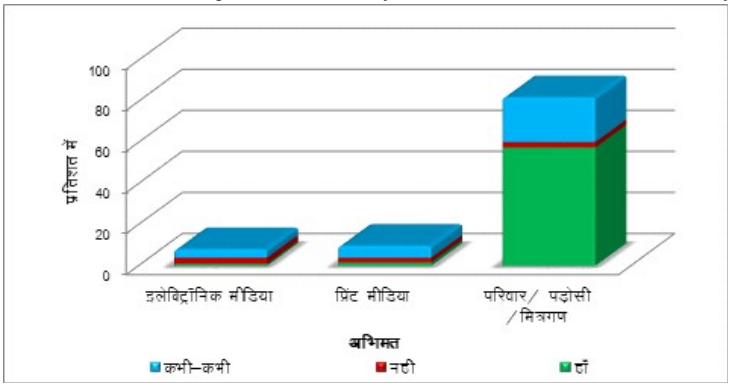

उक्त सारणी व आरेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अध्ययन क्षेत्र के बैगा जनजाति के चयनित उत्तरदाताओं में से सर्वाधिक 82.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने जानकारी दिया कि राजनीतिक समाचार प्राप्ति हेतु परिवारिक सदस्य, आस–पड़ोस व मित्रगण ही मुख्य स्रोत हैं जिनसे उन्हें जानकारी मिलता है। 9.66 उत्तरदाताओं को प्रिंट मीडिया की सहायता से राजनीति से जुड़े जानकारी प्राप्त होते हैं। 8.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से राजनीति व इससे जुड़े विभिन्न जानकारी प्राप्त होने की सन्दर्भ में अपना मत दिए हैं।

राजनीति, जनजाति नेतृत्व व पंचायती राज जैसे संबंधित सूचनाओं की जानकारी प्राप्त होने में जिन 60.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया है, उनमें से सर्वाधिक 57.66 प्रतिशत उत्तरदाताओं को परिवारिक सदस्य व रिश्तेदारों, अपने पड़ोसियों व मित्रगणों से प्राप्त होती है, 1.66 प्रतिशत उत्तरदाताओं को प्रिंट मीडिया (प्रकाशित विभिन्न समाचार पत्र–पत्रिकाएँ व अन्य) की सहायता से तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया (टेलीविजन, स्मार्टफोन इत्यादि) की सहायता से विभिन्न राजनीति मुद्दों व गतिविधियों के संदर्भ में सूचनाएं मिलता है।

31.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने राजनीति व इससे जुड़े विभिन्न मुद्दों व गतिविधियों की जानकारी के सन्दर्भ में बतया कि उन्हें कभी–कभी ही इन सभी स्रोतों से आंशिक मात्रा में जानकारी मिलने की जानकारी दिए हैं, इनमें से 21.66 प्रतिशत उत्तरदाताओं को परिवारिक सदस्य, पड़ोसी या मित्रगणों से सम्पर्क होने पर प्राप्त होते हैं, 5.66 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने प्रिंट मीडिया व 4.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से कभी–कभी जानकारी मिलने के सन्दर्भ में अपना मत दिए हैं। उत्तरदाताओं जिन्होंने कभी–कभी ही इन सभी स्रोतों से जानकारी मिलने के बारे में बताया है वे अपेक्षाकृत सूदूर क्षेत्रों में निवासरत है, जहाँ बिजली की उपलब्धता नहीं के समान है, टेलीविजन व समाचार पत्र–पत्रिकाओं की पहुंच नहीं के बराबर है या कभी–कभी पहुंच पाता है। 8.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं को राजनीति व इससे जुड़े समाचार प्राप्त नहीं होने की जानकारी दिए है।

उपरोक्त तथ्यों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि अध्ययन क्षेत्र में विभिन्न राजनीतिक मुद्दों व गतिविधियों की जानकारी का मुख्य स्रोत पारिवारिक सदस्य, मित्रगण, रिश्तेदार व पड़ोसी ही है, साथ ही पंचायत में उपलब्ध पाठ्य सामग्रियाँ ही उनके जानकारी का मुख्य स्रोत है।

https://doi.org/10.31995/shodhmanthan.2025.v16i02.48

सारणी–05 : उत्तरदाताओं का जातीय पंचायत/ग्राम पंचायत में सक्रिय होना

क्र.	अभिमत	संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	97	32.33
2.	आंशिक	120	40.0
3.	तटस्थ	31	10.33
4.	नहीं	52	17.33
योग		**300**	**100**

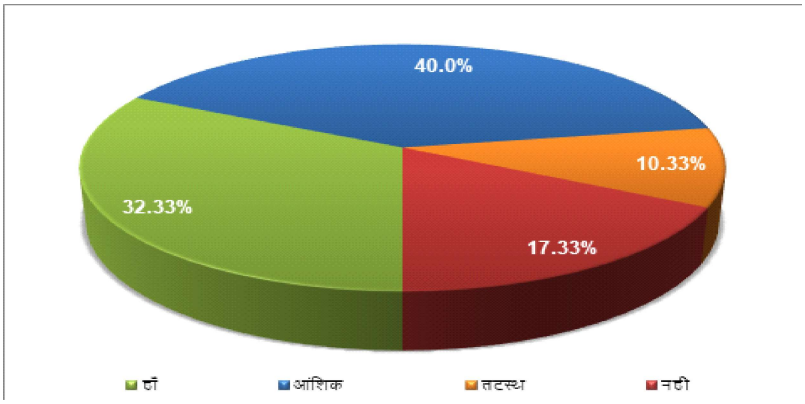

उक्त सारणी व आरेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अध्ययन क्षेत्र के बैगा जनजाति के चयनित उत्तरदाताओं में से सर्वाधिक 40.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि वे जातीय पंचायत या ग्राम पंचायत मे नियमित रूप से आंशिक रूप से सक्रिय हैं, वहीं 32.33 प्रतिशत उत्तरदाता जातीय पंचायत और ग्राम पंचायत दोनों ही जगहों पर नियमित रूप से सक्रिय हैं, 10.33 प्रतिशत उत्तरदाता उक्त विचार से तटस्थ है, जबकि 17.33 प्रतिशत उत्तरदाता जातीय पंचायत/ग्राम पंचायत में सक्रिय नहीं होने की जानकारी दिए हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य समस्याओं, अधिक उम्र व आवागमन की के साधनों के अभाव के कारण वे प्रत्यक्ष रूप से सक्रिय भागीदारी नहीं मिभा पाते हैं।

सारणी–06 : परम्परागत जनजातीय नेतृत्व में परिवर्तन होना

क्र.	अभिमत	संख्या	प्रतिशत
1.	पूर्ण सहमत	90	30.0
2.	सहमत	103	34.33
3.	तटस्थ	22	7.33
4.	असहमत	36	12.0
5.	पूर्ण सहमत	49	16.33
योग		**300**	**100**

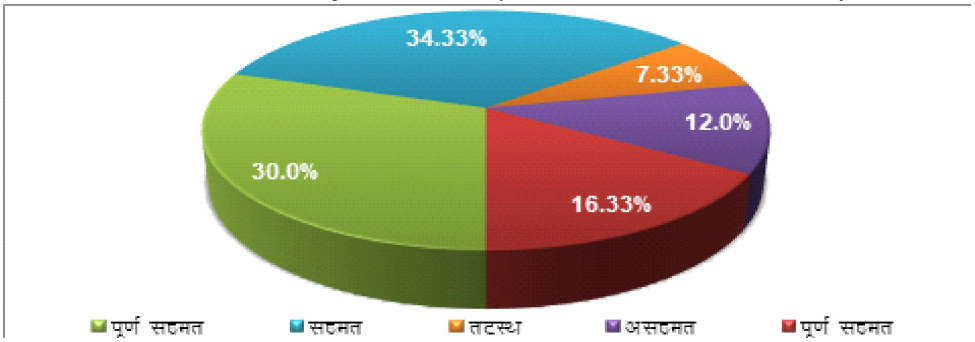

उक्त सारणी व आरेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अध्ययन क्षेत्र के बैगा जनजाति के चयनित उत्तरदाताओं में से सर्वाधिक 34.33 प्रतिशत उत्तरदाता इस विचार से पूर्ण सहमत व 30. 0 उत्तरदाता सहमत हैं कि बैगा जनजाति में परम्परागत जनजातीय नेतृत्व में परिवर्तन आया है। 12. 0 प्रतिशत उत्तरदाता उक्त विचार से असहमत एवं 16.33 प्रतिशत उत्तरदाता पूर्ण असहमत हैं, जबकि 7.33 प्रतिशत उत्तरदाता उक्त विचार से तटस्थ है।

इस प्रकार निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि बैगा जनजातियों में पूर्व की अपेक्षा पंचायतीय/जातीय स्तर पर राजनीतिक सहभागिता में युवा वर्ग शामिल हो रहे हैं, परिणामस्वरूप इन युवाओं के पास शैक्षणिक योग्यता पूर्व की अपेक्षा बेहतर हो रही है तथा अपनी समस्याओं को शासन/प्रशासन तक सरलतापूर्वक पहुंचा पा रहे हैं, यही कारण है कि आज उक्त क्षेत्रों में गांव तक अच्छी सड़क मार्ग, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ और मनरेगा द्वारा रोजगार भी उपलब्ध कराया जा रहा है।

सन्दर्भ सूची

1. श्रीविजय, ''राजनीतिक सहभागिता : अवधारणात्मक परिप्रेक्ष्य'' जर्नल ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीस एण्ड इन्नोवेटिव रिसर्च, अंक–05, भाग–08, अगस्त ; 2018, पृ० सं०–838.
2. हरबर्ट, मेक्युलोस्की एण्ड डेविस मिल्स ''पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन'' ब्रिल एकेडमिक प्रकाशन, 1984, पृ० सं०–254.
3. यादव, अंजली ''विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों में शासन द्वारा संचालित विकास के कार्यक्रमों के प्रति जागरूकता'' जर्नल ऑफ रविशंकर युनिवर्सिटी, भाग–अ, अंक–27, संख्या–01, 2021, पृ० सं०–39–44.
4. राजपूत, उदय सिंह (2020) ''बैगा जनजाति की परम्परागत राजनीतिक व्यवस्था एवं पेसा अधिनियम : पूर्वी मध्यप्रदेश से कुछ अनुभवजन्य साक्ष्य'' मेकल मीमांसा, अंक–02, वर्ष–12, जुलाई – दिसम्बर ; 2020, पृ० सं०–13–18.
5. तिग्गा, आनंद प्रकार ''छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में बैगा जनजाति के विकास में पंचायती राज व्यवस्था की भूमिका : एक राजनैतिक विश्लेषण'' अप्रकाशित शोधग्रंथ, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.), 2016.